10

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 20/2020 दायर दिनांक–27.01.2020
जी.सी.एम.एस. नं. 2021/315

रामसिंह पुत्र करणीदान सिह जाति चारण निवासी चारणों की ढाणी तन कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. भवानी शंकर पुत्र करणीदान सिह
2. ओमप्रकाश पुत्र करणीदान सिंह
3. मंगेज कंवर पत्नी करणीदान सिह
4. सोहन कंवर पुत्री करणीदान सिंह
5. सायर कंवर पुत्री करणीदान सिंह
   समस्त जाति चारण निवासी चारणों की ढाणी तन कोलसिया तहसीसल नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा– नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिह शेखावत
वकील प्रति॰ नं॰ : – एकपक्षीय

दावा : स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 31–10–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में खाता संख्या 30 की भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 1.7800 हैअर अवस्थित है जिमसें वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 का बराबर–बराबर का 1/6–1/6 हिस्सा है जिमसें शामलाती रूप से कब्जे काश्त करते चले आ रहे है जो वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है। करणीदान सिह फौत हो चुका है। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 करणीदान सिंह के वारिसान है जिससे वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 शामलाती रूप से सिंचाई करते चले आ रहे है, जिसका राजस्व रिकार्ड शामलाती बना हुआ है तथा उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो पीढीयो से चली आ रही है जिसको आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि से वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को शामलाती रूप से लाट–बाट उपयोग–उपभोग करते आ रहे है प्रत्येक खातेदार का शामलाती रूप से प्रत्येक ईच पर कब्जा काश्त है, भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। परन्तु मौके पर अपनी सहुलियत के अनुसार विभाजन कर कब्जे काश्त में चली आ रही है। शामलाती खाता होने के कारण व शामलाती कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण से अपने–अपने हिस्से की भूमि का विकास नही कर पा रहे है तथा आये दिन खेत की सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की नियत में खो आ गया तथा वादी को उनके हिस्से महरूम करना चाहते है तथा ऐलानिया रूप से धमकी देते है कि रबी की फसल लाठी के बल पर करेगें तथा आपको फसल नही करने देगे न ही आपको अपने हिस्से में घुसने देंगे। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 ने गिरोह बना रखाा है जो संख्या बल में अधिक है। वादी को उनके वैद्य हिस्से से बदेखल करने पर आमादा है। वादी के हिस्से की भूमि को वेस्ट एण्ड डमेज [illegible] आमादा है तथा बिना विधिवत विभाजन को किसी अजनबी क्रेता को विक्रय इकरारनामा [illegible] सकते [illegible] जो अजनबी क्रेता को भूमि के विशिष्ट भाग पर करवा सकते है। कानूनन प्रतिवादी [illegible] कोई वैद्य अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण [illegible] अवैधानिक कार्य में लिप्त है, इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या [illegible] अधिकारों से महरूप करने [illegible] आमादा है, प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 की नियत में खोट [illegible] गया है, अजनबी व्यक्ति को [illegible] जरिये इकरारनामा करने पर आमादा है, चूंकि बिना कोई विधिवत विभाजन के शामलाती भूमि के [illegible] विशेष भू–भाग को कानूनन विक्रय करने का अधिकार नही है, परन्तु प्रतिवादीगण कानून को हाथ में लेकर बिना विधिवत विभाजन के अजनबी क्रेता को भूमि का विक्रय करने की दिनांक 10.01.2020 को धमकी इस आशय की दी कि शामलाती खातेदारी की भूमि का विशेष भू–भाग का विक्रय का इकरारनामा करेगे तथा आजकल में किसी अजनबी व्यक्ति के पक्ष में बनाकर दे देगे। हालांकि ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

अधिकार नही है, परन्तु विक्रय इकरारनामा करवाने में सफल हो गये तो वादी को सख्त हकतलफी पैदा होगी, जिससे वादी को व्यर्थ में मुकदमें बाजी में फंसना होगा,

वादी ने वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि शामलाती वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 1.7800 हैक्टर भूमि के 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, लाट–बाट में किसी प्रकार की न तो स्वयं दखलन्दाजी करे, न ही अन्य किसी से करवावे, न ही भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करे, न ही वादग्रस्त भूमि में खड़े पेडो को काटे न ही वादी को लाट–बाट करने से रोके न ही अन्य किसी से ऐसा करवावे न ही वादी को अपने हक व हिस्से में ट्यूबवैल से पानी लेने देवे तथा उससे वादीगण को अपनी भूमि की सिंचाई करने देवे तथा शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें।

अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादिनी के हक में पड़ती हो अलग से दिलवाई जावे। मुकदमा हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध दिनांक 10.03.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दिनांक 10.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही होने से इनकी ओर से प्रतिरक्षा प्रस्तुत नही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। तद्पश्चात शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं रामसिंह ने उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में अन्य कोई शहादत वादी प्रस्तुत नही करना जाहिर करने पर वादी की शहादत वादी बंद की गई। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात ग्राम कोलसिया की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श– 1, नक्शा शीट फोटो प्रति प्रदर्श–2 प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दिनांक 10.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही होने से इनकी ओर से प्रतिरक्षा प्रस्तुत नही होने पर प्रकरण में शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दस्तावेजात प्रदर्श 1 में वादग्रस्त भूमि से वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि को शामलाती रूप से लाट–बाट उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत प्रत्येक खातेदार का शामलाती भूमि में जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जाता है तब तक शामलाती खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार काश्तकार को प्रत्येक ईंच–ईंच पर कब्जा काश्त होता है।, भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। शामलाती खाता होने के कारण व शामलाती कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण से अपने–अपने हिस्से की भूमि का विकास नही कर पा रहे है तथा आये दिन खेत की सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होने का अन्देशा रहता है जिससे वाद की बहुलता होती है। इस स्तर पर वादग्रस्त भूमि वेस्ट व डेमेज होती है तो वादी के हक हकूको की हक तलफी होगीा। इसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी का वाद न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद वादीगण साबित पाये जाने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में खाता संख्या 30 की भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 1.7800 हैक्टर में वादी के 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, लाट–बाट में किसी प्रकार की न तो स्वयं दखलन्दाजी करे, न ही अन्य किसी से करवावे, न ही भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करे, न ही वादग्रस्त भूमि में खड़े पेडो को काटे न ही वादी को लाट–बाट करने से रोके न ही अन्य किसी से ऐसा करवावे न ही वादी को अपने हक व हिस्से में ट्यूबवैल से पानी लेने देवे तथा उससे वादीगण को अपनी भूमि की सिंचाई करने देवे तथा शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें। वादी एवं प्रतिवादीगण विधिवत विभाजन हेतु वाद लाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰) नवलगढ़

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 20 / 2020
जी.सी.एम.एस. नं. 2021 / 315

(रामसिंह बनाम भवानी सिह आदि)

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.10.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके भूमि ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में खाता संख्या 30 की भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 1.7800 हैक्टर भूमि मे वादी के 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, लाट–बाट में किसी प्रकार की न तो स्वयं दखलन्दाजी करे, न ही अन्य किसी से करवावे, न ही भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करे, न ही वादग्रस्त भूमि में खड़े पेडो को काटे न ही वादी को लाट–बाट करने से रोके न ही अन्य किसी से ऐसा करवावे न ही वादी को अपने हक व हिस्से में ट्यूबवैल से पानी लेने देवे तथा उससे वादीगण को अपनी भूमि की सिंचाई करने देवे तथा शांतिपूर्वक उपयोग, उपभोग करने देवें। वादी एवं प्रतिवादीगण विधिवत विभाजन हेतु वाद लाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए॰सी॰ई॰एम॰(फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested